उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1233/79–वि–1–09–1(क) 25–2009
लखनऊ, 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 दिनाँक 26 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः–

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) अधिनियम, 2009

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2009

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियो का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 का आरम्भ से विखण्डन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियो का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,–

(क) ''आमेलन नियमावली'' का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या 3/4/90 कार्मिक 2–91, दिनांक 9 मई, 1991 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 से है;

(ख) ''सार्वजनिक निगम'' का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय या स्थायी स्वायत्त शासन के प्रयोजन के लिए गठित स्थानीय प्राधिकरण के सिवाय, उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी निगमित निकाय से है, और उसमे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई, ऐसी सरकारी कम्पनी सम्मिलित है, जिसमें राज्य सरकार का प्रचुर हित हो।

(ग) ''विखण्डन नियमावली'' का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या 874/का–3–2003–3/18–98 दिनांक 8 अप्रैल, 2003 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखण्डन) नियमावली, 2003 से है;

(घ) ''छंटनीशुदा कर्मचारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो 1 अक्टूबर, 1986 को या उसके पूर्व पद पर भर्ती के लिए दी गई प्रक्रिया के अनुसार सरकार या किसी सार्वजनिक निगम के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया था और यथास्थिति, सरकार या सार्वजनिक निगम के किसी अधिष्ठान में

कमी किये जाने या उसका परिसमापन किये जाने के कारण अपनी छंटनी के दिनांक तक सरकार के या, ऐसे निगम के अधीन किसी पद पर निरन्तर कार्य कर रहा था और जिसके सम्बन्ध में उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया हो;

विखण्डन और व्यावृत्ति

3–(1) आमेलन नियमावली, जिसे विखण्डन नियमावली द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2003 से विखण्डित किया गया था, को विखण्डित कर दिया जायेगा और दिनांक 9 मई, 1991 को विखण्डित की गई समझी जाएगी और ऐसे विखण्डन के फलस्वरूप,

(क) छंटनीशुदा कर्मचारियों का सिवाय उनके जिनका आमेलन दिनांक 9 मई, 1991 से 8 अप्रैल, 2003 तक की अवधि के दौरान हो गया था, उक्त आमेलन नियमावली के अधीन या तत्सम्बन्ध में जारी किन्हीं सरकारी आदेशों के अधीन आमेलन सम्बन्धी उनका अधिकार समाप्त हुआ समझा जायेगाः

(ख) किसी विशिष्ट सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम के छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिए आमेलन के प्रतिभान विहित करने और वेतन संरक्षण सहित पारिणामिक प्रसुविधाओं को प्रदान करने से सम्बन्धित समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेश आरम्भ से प्रतिसंहत हो जायेंगे।

2–ऐसे विखण्डन के होते हुए भी–

(क) आमेलन नियमावली के उपबन्धों के अधीन दिनांक 8 अप्रैल, 2003 के पूर्व आमेलित छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रदान की गयी आमेलन सम्बन्धी प्रसुविधा वापस नहीं ली जाएगी।

(ख) दिनांक 8 अप्रैल, 2003 से पूर्व आमेलित छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रदान की गयी वेतन संरक्षण की प्रसुविधा भी संरक्षित रहेगी।

(ग) आमेलन नियमावली द्वारा आच्छादित कोई छंटनीशुदा कर्मचारी, जिसे दिनांक 8 अप्रैल, 2003 तक आमेलित न किया गया हो, ऐसे समूह ''ग'' और समूह ''घ'' के पद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के हो, पर सीधी भर्ती के लिए, उच्च आयु सीमा में उस सीमा तक शिथिलता प्राप्त करने का हकदार होगा, जितनी उसने सम्बन्धित सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम में मौलिक हैसियत से पूर्ण किये गये वर्षों तक निरन्तर सेवा की हो।

4– विखण्डन नियमावली विखण्डित कर दी जायेगी और दिनांक 8 अप्रैल, 2003 से विखण्डित की गयी समझी जायेगी।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों के आमेलन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 बनाई गयी थी। सरकार या सार्वजनिक निगमों के ऐसे बहुत से कर्मचारियों ने जिन्हे छंटनीशुदा नहीं घोषित किया गया था उक्त नियमावली के अधीन समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों पर अपने आमेलन हेतु रिट याचिकायें दायर की थी। शासन की नीति के अनुसार ऐसे छंटनीशुदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर आने वाले पदों पर आमेलित किये जाने के लिए पात्र नहीं थे। कालान्तर में उक्त नियमावली के अधीन लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर आने वाले पदों पर ऐसे कर्मचारियों के आमेलन की समस्या गंभीर होती गयी। अतएव उत्तर प्रदे ा सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनी ुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 को उत्तर प्रदे ा सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनी ुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखण्डन) नियमावली, 2003 द्वारा विखण्डित कर दिया गया।

सन् 2003 के उपर्युक्त नियमावली के प्रकाशित होने के पश्चात् भी राज्य सरकार को न्यायालय में दायर की गयी याचिका में राहत नहीं मिली। चूंकि उपर्युक्त नियमावली के उपबन्धों को राज्य विधानमण्डल के

अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो गया है, अतः यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 को आदितः विखण्डित करने की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियो ंका सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 पुरःस्थापित किया जाता है।